UPMP010063102025

न्यायालय ADJ I, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Sri Achchhe Lal Saroj), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06134

रिलीज प्रार्थना पत्र सं० 530/2025

धीरेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य

दिनांक– 01.04.2026

आदेश

1. प्रार्थी धीरेन्द्र सिंह पुत्र वीरवल निवासी ग्राम वैनल थाना गंजडुण्डवारा जिला कासगंज की ओर से वाहन सीट्रान कार सं. यूपी 87 एक्स 1170 को रिलीज करने हेतु प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ दिया गया है कि वह उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा उसके पास उक्त वाहन के कागजात मौजूद है जो पूर्ण व वैध है। उसका वाहन अ०स० 168/25 अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट में थाना औंछा जिला मैनपुरी में खड़ा है। प्रार्थी का वाहन खुले स्थान पर खड़े रहने से काफी नुकसान होने का संदेह है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का वाहन उसके हक में रिलीज किया जाना अति आवश्यक है। अत: उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के उक्त कार को रिलीज करने की प्रार्थना की गयी है।

2. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रश्नगत वाहन सीट्रान कार सं. यूपी 87 एक्स 1170 को माल मुकदमाती बताते हुये रिलीज का विरोध किया गया।

3. थाना औंछा जिला मैनपुरी की आख्यानुसार वाहन सीट्रान कार सं. यूपी 87 एक्स 1170 मुकदमा अपराध संख्या० 168/2025 से संबंधित अभियोग में प्रयुक्त हुयी है तथा माल मुकदमाती है तथा वर्तमान में थाना हाजा पर खड़ा है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रश्नगत वाहन सीट्रान कार की पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है तथा छायाप्रति दाखिल की गयी है। पंजीयन प्रमाण पत्र के अवलोकन से धीरेन्द्र सिंह पुत्र वीरवल सिंह निवासी वैनल थाना गंजडुण्डवारा जिला कासगंज उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी की ओर से वाहन से संबंधित अन्य प्रपत्र भी दाखिल किये गये है। वाहन के संबंध में यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि वाहन स्वयं कोई गलती नहीं करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाहन को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **सुन्दरलाल अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003 (1) जे०आई०सी० 615** में अवधारित किया गया है कि गाड़ियों को थाने में खड़ी रहने से राष्ट्रीय क्षति होती है तथा राष्ट्रहित में वाहन को रिलीज कर दिया जाना चाहिए। इसी मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि धारा 451 दं.प्र.सं. में विहित शक्तियों का प्रयोग न्यायपूर्ण तरीके से यथासिद्ध किया जाना चाहिए। और पुलिस स्टेशन में निरुद्ध वाहन के संबंध में यथाशीघ्र न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए। वाबन लम्बे समय तक पुलिस स्टेशन में नहीं रोकना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अद्यतन विधि व्यवस्था **क्रिमिनल अपील नं० 87/2025 BISHWAJIT DEY Vs THE STATE OF ASSAM** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा 23 में यह अवधारित किया गया है कि

"In the absence of any specific bar under the NDPS Act and in view of Section 51 of NDPS Act, the Court can invoke the general power under Sections 451

and 457 of the Cr.P.C. for return of the seized vehicle pending final decision of the criminal case. Consequently, the trial Court has the discretion to release the vehicle in the interim. However, this power would have to be exercised in accordance with law in the facts and circumstances of eacth case."

इसी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वाहन को सीज किये जाने एवं जब्त किये जाने के संबंध में पैरा 21 में यह अवधारित किया गया है कि

"Upon a reading of the NDPS Act, this Court is of the view that the seized vehicles can be confiscated by the trial court only on conclusion of the trial when the accused is convicted or acquitted or discharged. Further, even where the Court is of the view that the vehicle is liable for confiscation, it must give an opportunity of hearing to the person who may claim any right to the seized vehicle is not liable to confiscation if the owner of the seized vehicle can prove that the vehicle was used by the accused person without the owner's knowledge or connivance and that he had taken all reasonable precautions against such use of the seized vehicle by the accused person."

5. प्रस्तुत मामले में निरूद्ध वाहन सीट्रान कार सं. यूपी 87 एक्स 1170 का पंजीकृत स्वामी धीरेन्द्र सिंह को होना बताया गया है जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र मूल रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत वाहन के स्वामित्व के सम्बन्ध में अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया है। प्रकरण से संबंधित वाद विचारण हेतु लंबित है जिसमें अभियुक्त के दोषी होने अथवा दोषमुक्त होने के संबंध में इस स्तर पर कोई राय नहीं बनायी जा सकती। प्रश्नगत वाहन एक यांत्रिक वस्तु है जिसके थाने में खुले में खड़े रहने से उसकी गुणवत्ता (कलपुर्जे आदि) एवं मूल्य में ह्रास आना स्वाभाविक है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च् न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में दिये गये दिशा निर्देष को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत वाहन शर्तों के अधीन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक धीरेन्द्र सिंह द्वारा मुवलिग 5,00,000/- रूपये (पांच लाख रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की एक जमानत दाखिल करने पर वाहन सीट्रान कार सं. यूपी 87 एक्स 1170 माल स्वामी धीरेन्द्र सिंह के हक में निम्न शर्तों के अधीन अवमुक्त/शुपुर्द किया जाता है।

1- माल स्वामी प्रश्नगत वाहन को वाद के अंतिम निस्तारण तक न तो विक्रय करेगा और न ही उसके रंग रूप अथवा भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करेगा।

2- माल स्वामी प्रश्नगत वाहन की पहचान बनाये रखेगा और उसे किसी भी प्रकार से विक्रित नहीं करेगा। और न ही कोई क्षति कारित करेगा।

3- वाद के दौरान अथवा वाद के अंतिम निस्तारण के समय यदि न्यायालय द्वारा वाहन को तलब किया जाता है तो माल स्वामी प्रश्नगत वाहन न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

दिनांक- 01.04.2026

(अच्छे लाल सरोज)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं० 1 ,मैनपुरी।

ACHCHHE LAL SAROJ

Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.04.01 15:59:22 +0530